

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्रीमती शिल्पा सिंह आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या
189 2020 प्रार्थना पत्र

तारीख दायर
09-10-2020

तारीख फैसला
09-10-2020

उनवान

राजस्थान सरकार

बनाम

—:: आदेश ::—

तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 रा0भू0अभिलेख नियम 1957 मय दरस्तावेजात नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का गिरडिया व भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया, परष्टि ए एवं अभिशंषा तहसीलदार शाहपुरा का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम खेडी खुर्द पटवार हल्का गरडिया तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 250 में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है संबधित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार शाहपुरा ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि है कि ग्राम खेडी खुर्द पटवार हल्का गिरडिया तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 250 में से मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शे एव परिशिष्ट ए म वर्णितानुसार करावें। एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह आदेश आज दिनांक 09-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाडा)

